18/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपयु-
क्त [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाता है कि [illegible] डिक्री अनुसार
के [illegible] [illegible] दर्ज [illegible]
निर्णय [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/240

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 102/24 GCMS:-2024/240 **दायर दिनांकः– 06–05–2024**

सिलोचना पत्नी श्री गौरीशंकर जाति जाट साकिन 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––प्रार्थीया

बनाम

1– राजेन्द्र पुत्र श्री पुरणराम जाति जाट साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–शाखा प्रबन्धक ओ बी सी बैंक वर्तमान पी एन बी शाखा रघुनाथपुरा

3– राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

4–सरोज पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन चक 6 के के डब्ल्यू सम्पतनगर रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू , गणेशाराम गोदारा अभिभाषक प्रार्थीया

2– श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 व 4

3– श्री ओमसिंह अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2

4– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 18.12.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया के नाम से भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 82/2 के प0न0 118/58 मु0न0 11 के किला न0 4–5/0.506 है0 , 6/2 में 0.127 है0 , 8–12–13–18–23/1.265 है0 कुल 1.898 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। जिसकी प्रार्थीया तन्हा मालिक व काबिज है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 63/31 के प0न0 118/58 मु0न0 11 के किला न0 1/2 में 0.228 है0, 2–3–9/0.759 है0 , 10/2 में 0.228 है0, 11/2 में 0.228 है0 , 19/0.253 है0 , 20/2 में 0.228 है0 कुल 1.924 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीया को अपने रकबा वाके चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 82/2 की कुल 1.898 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 118/57, 118/58, के प्रत्येक किला न0 1–10–11–20–21 में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर प0 न0 118 /58 मु0 न0 11 के किला न0 11 में दक्षिण पासा में पश्चिम से पूर्व में आवागमन लगभग 10 वर्षो से किया जा रहा है । किला न0 11 के उतर दिशा में अप्रार्थी न0 1 ने टयुबैल व सोलर लगा रखा है। अप्रार्थी न0 1 भी इसी रास्ता से अपने टयुबैल व सोलर पर आवागमन कर रहा है । लेकिन चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 118/58 मु0 न0 11 के किला न0 11 के दक्षिणी पासा पश्चिम से पूर्व में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थीया काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी नं0 1 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करती आ रही है। प्रार्थीया को भूमि में आवागमन हेतू वाके चक 2 एस पी एम बी तहसील सूरतगढ के प0 न0 118/57, 118/58, के प्रत्येक किला न0 1–10–11–20–21 में चल है लेकिन प0 न0 118/58 मु0 न0 11 के किला न0 11 में दक्षिण पासा में पश्चिम से पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीया को अपनी खातेदारी रकबा में आने जाने परेशानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

होती है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी के प0 न0 118 /58 मु0 न0 11 के किला न0 11 में 0.019 है0 दक्षिण पासा में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। उक्त रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीया को आये दिन परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 व 4 जरिये अभिभाषक शिशपाल शर्मा , अप्रार्थी सं0 2 जरिये अभिभाषक ओमसिंह उपस्थित हुये।

अप्रार्थी सं0 4 की और से प्रार्थना–पत्र आदेश 1 रूल 10 सी पी सी पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी भूमि का बेचान अप्रार्थी न0 4 सरोज पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन चक 6 के के डब्ल्यू सम्पतनगर रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ को कर दिया है इसलिए सरोज को पक्षकार प्रार्थना–पत्र बनाया जावे । जिस पर प्रार्थी के अभिभाषक ने कोई एतराज नही किया गया । सरोज का अप्रार्थी स0 4 पर लाल स्याही से नाम अंकित किया गया ।

अप्रार्थी सं0 4 की तरफा से जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सहमति के अनुसार चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 19–20 में 0.019 है0, 0.019 है0 दक्षिणी पासा पश्चिम से पर्व की तरफ लम्बाई में रास्ता देना चाहती है व इस रास्ता के रकबा के बदले इसी प0न0 118/58 के किला न0 12 में 0.038है0 इस किला के दक्षिणी पासा का रकबा जो किला न0 19 के चिपता है पूर्व से पश्चिम लम्बाई में लेना चाहती है ।

अप्रार्थी न0 4 के जबाब प्रार्थना–पत्र एवं सहमति–पत्र पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नही है। जो अप्रार्थी न0 1 की खातेदारी भूमि चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 19–20 में 0.019 है0, 0.019 है0 दक्षिणी पासा पश्चिम से पूर्व की तरफ लम्बाई में रास्ता देना की सहमति प्रकट की है व इस रास्ता के रकबा के बदले इसी प0न0 118/58 के किला न0 12 में 0.038है0 इस किला के दक्षिणी पासा का रकबा जो किला न0 19 के चिपता है पूर्व से पश्चिम लम्बाई में लेने की सहमति प्रकट की है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 4 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 19–20 में 0.019 है0, 0.019 है0 दक्षिणी पासा पश्चिम से पूर्व की तरफ लम्बाई में भूमि कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थीया के नाम से भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 12 में 0.038है0 भूमि दक्षिणी पासा प्रार्थीया के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 4 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / 102/2024/ 10.12.2024/ 9308 दिनांक :– 10.12.2024

तहसीलदार राजस्व

सूरतगढ

विषय :– अनवान सिलोचना बनाम राजेन्द्र वगैरा में जारी आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान सिलोचना बनाम राजेन्द्र वगैरा पत्रावली धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत में दिये गये आदेश दिनांक 10.12.2024 के मुताबिक चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 19–20 में 0.019 है0, 0.019 है0 दक्षिणी पासा पश्चिम से पूर्व की तरफ लम्बाई में भूमि कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थीया के नाम से भूमि वाके चक 2 एस पी एम बी के प0न0 118/58 के किला न0 12 में 0.038है0 भूमि दक्षिणी पासा प्रार्थीया के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 4 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है की पालना कर किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested